

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2018/2835 जयपुर,दिनांक: 25.6.18

:: आ दे श ::

श्री राकेश कुमार वर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा जो अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, का दिनांक 17.05.2018 को स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्हें औपचारिक रूप से दिनांक 17.05.2018 को मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवा समाप्त/सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री राकेश कुमार वर्मा के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटा।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त